न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–207/2024

CIS No.-TS 207/2024

शेख असलम.....वादी

बनाम

मो0 तबरेज आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
19.03.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 05.02.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी प्रथम पक्ष दिनांक 16.10.2025 को उपस्थित हुए है तथा ससमय ब्यान तहरीरी दाखिल नहीं करने के कारण प्रतिवादी प्रथम पक्ष को ब्यान तहरीरी दाखिल करने से आदेश दिनांक 19.01.2026 को वंचित कर दिया है। प्रतिवादी द्वितिय पक्ष इस वाद में दिनांक 19.01.2026 को उपस्थित हुए है तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं द्वितिय पक्ष अपना ब्यान तहरीरी एक साथ दिनांक 05.02.2026 को दाखिल किये है एवं वाद में संघर्ष कर रहे है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष को कुछ आवश्यक दस्तावेज ससमय प्राप्त नहीं हो सका, जिसके कारण अपना ब्यान तहरीरी ससमय दाखिल नहीं कर सके। प्रतिवादी प्रथम पक्ष अपना ब्यान तहरीरी दाखिल करने में जान बूझकर विलंब नहीं किये है, बल्कि आवश्यक कागजात के आभाव में विलंब हो गया है। लेहाजा न्यायहित में ब्यान तहरीरी से वंचित आदेश दिनांक 19.01.2026 को वापस लेकर प्रतिवादी प्रथम पक्ष को अपना पक्ष रखने हेतु मौका नहीं दिया जाता है तो प्रतिवादी प्रथम पक्ष को अपूर्णीय क्षति होगी एवं न्याय से वंचित हो जाएगा। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त तथ्यों के आलोक में आदेश दिनांक 19.01.2026 को न्यायहित में वापस लेते हुए प्रतिवादी प्रथम पक्ष का आवेदन दिनांक 05.02.2026 को स्वीकृत करने की कृपा की जाय। वादी की ओर से प्रतिवादी प्रथम पक्ष के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–207/2024</u>

<u>CIS No.-TS 207/2024</u>

शेख असलम.....वादी

बनाम

मो0 तबरेज आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 19.03.2026	अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद सुनवाई हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादी प्रथम पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में न्यायालय आदेश दिनांक 19.01.2026 को मो0–1000 रूपये हर्जे पर वापस लेते हुए प्रतिवादी प्रथम पक्ष का आवेदन दिनांक 05.02.2026 को स्वीकार किया जाता है। आगामी दिनांक 18.04.2026 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	